

संचिका संख्या-ब0-15/बी0एस0जी0-01/2026- 236/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव मित्तल, भा0प्र0से0

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 09.03.2026

विषय:- बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि के व्यय के संबंध में ।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026 पर माननीय राज्यपाल ने दिनांक-02.03.2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 02, 2026) को अधिसूचना संख्या-एल0जी0-01-04/2026/लेज: 1980 एवं 1981 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 09.03.2026 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-256, दिनांक-09.03.2026 से प्रकाशित किया गया है ।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-256, दिनांक-09.03.2026 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को एवं पाँच प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट में प्रावधानित राशि का व्यय 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2027 तक नियमानुसार किया जा सकता है। राशि के व्यय की अधिकतम सीमा अधिनियम की अनुसूची के कॉलम-6 में अंकित राशि तक सीमित है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है ।


4. संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाइट <https://egazette.bih.nic.in/> पर देखा जा सकता है। संबंधित यह सूचना वित्त विभाग के वेबसाइट <http://state.bihar.gov.in/finance> पर भी प्रकाशित की जा रही है।

विश्वासभाजन

(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब0-15/बी0एस0जी0-01/2026-236/वि0 पटना, दिनांक: 09.03.2026


प्रतिलिपि-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली /माननीय मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव /लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब0-15/बी0एस0जी0-01/2026-236/वि0 पटना, दिनांक: 09.03.2026

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी सहायक कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब0-15/बी0एस0जी0-01/2026-236/वि0 पटना, दिनांक: 09.03.2026

प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/श्रमायुक्त, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक,

प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखागार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक वित्त/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब0-15/बी0एस0जी0-01/2026-236/वि0 पटना, दिनांक: 09.03.2026

प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।




(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब0-15/बी0एस0जी0-01/2026-236/वि0 पटना, दिनांक: 09.03.2026

प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/प्रभारी पदाधिकारी, लेखा प्रशासन/प्रशाखा-4, 5 एवं 10/ई-गवर्नेंस कोषांग/कोषागार शाखा/स्थापना प्रशाखा-1 एवं 2/लेखा शाखा/उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव/सचिव (व्यय)/सचिव (संसाधन)/विशेष सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब0-15/बी0एस0जी0-01/2026-236/वि0 पटना, दिनांक: 09.03.2026

प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब0-15/बी0एस0जी0-01/2026-236/वि0 पटना, दिनांक: 09.03.2026

प्रतिलिपि- प्रणाली विश्लेषक/आई0टी0 मैनेजर, ई-गवर्नेंस कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुये सभी विभागों/जिला पदाधिकारियों/कोषागार पदाधिकारियों को ई मेल भी कर दें।


(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब0-15/बी0एस0जी0-01/2026-236/वि0 पटना, दिनांक: 09.03.2026

प्रतिलिपि- बजट शाखा के सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/अवर बजट नियंत्रक /सहायक निदेशक/लेखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन 1947 (श10)
(सं0 पटना 256) पटना, सोमवार, 9 मार्च 2026

विधि विभाग

अधिसूचना
9 मार्च 2026

सं० एल०जी०-01-04/2026-1980/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026

[बिहार अधिनियम सं०-02, 2026]

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह 01 अप्रैल 2026 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 353045,15,49,000 (तीन लाख तिरपन हजार पैतालीस करोड़ पन्द्रह लाख उनचास हजार) रुपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल 353045,15,49,000 (तीन लाख तिरपन हजार पैतालीस करोड़ पन्द्रह लाख उनचास हजार) रुपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31वीं मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जाएगा

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	Sums not exceeding (In Rupees)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारत	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	33,26,45,26,000	0	33,26,45,26,000
		पूंजी	1,20,00,00,000	0	1,20,00,00,000
02	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	राजस्व	16,65,96,78,000	0	16,65,96,78,000
		पूंजी	2,50,00,03,000	0	2,50,00,03,000
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	19,05,26,14,000	0	19,05,26,14,000
		पूंजी	42,48,45,60,000	0	42,48,45,60,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	3,60,00,53,000	0	3,60,00,53,000
		पूंजी	10,50,00,00,000	0	10,50,00,00,000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	60,80,02,000	60,80,02,000
		पूंजी	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	3,23,53,51,000	0	3,23,53,51,000
		पूंजी	0	0	0
07	निगरानी विभाग	राजस्व	63,73,44,000	0	63,73,44,000
		पूंजी	0	0	0
08	कला, एवं संस्कृति विभाग	राजस्व	1,85,55,18,000	0	1,85,55,18,000
		पूंजी	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	10,75,15,86,000	0	10,75,15,86,000
		पूंजी	1,26,25,30,000	0	1,26,25,30,000
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	1,65,04,98,67,000	0	1,65,04,98,67,000
		पूंजी	22,32,07,00,000	0	22,32,07,00,000



अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	Sums not exceeding (In Rupees)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	17,49,18,88,000	0	17,49,18,88,000
		पूंजी	25,00,000	0	25,00,000
12	वित्त विभाग	राजस्व	5,26,36,83,000	22,00,15,00,000	27,26,51,83,000
		पूंजी	10,15,00,00,000	0	10,15,00,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	2,53,63,68,47,000	2,53,63,68,47,000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	2,26,64,83,46,000	2,26,64,83,46,000
15	पेंशन	राजस्व	3,51,40,33,59,000	30,14,64,000	3,51,70,48,23,000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	1,05,20,50,82,000	0	1,05,20,50,82,000
		पूंजी	4,75,00,00,000	0	4,75,00,00,000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	2,76,59,01,000	0	2,76,59,01,000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	10,79,93,54,000	0	10,79,93,54,000
		पूंजी	1,15,25,01,000	0	1,15,25,01,000
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	10,25,39,60,000	0	10,25,39,60,000
		पूंजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	1,89,19,40,75,000	0	1,89,19,40,75,000
		पूंजी	23,50,99,98,000	0	23,50,99,98,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	5,87,98,31,95,000	0	5,87,98,31,95,000
		पूंजी	14,06,29,00,000	0	14,06,29,00,000
22	गृह विभाग	राजस्व	1,87,16,36,70,000	0	1,87,16,36,70,000
		पूंजी	14,16,49,99,000	0	14,16,49,99,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	14,75,06,65,000	0	14,75,06,65,000
		पूंजी	18,62,57,04,000	0	18,62,57,04,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	2,80,13,39,000	0	2,80,13,39,000
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1,40,39,53,000	0	1,40,39,53,000
		पूंजी	1,50,04,00,000	0	1,50,04,00,000
26	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग	राजस्व	3,71,63,31,000	0	3,71,63,31,000
		पूंजी	0	0	0
27	विधि विभाग	राजस्व	17,36,90,80,000	0	17,36,90,80,000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	3,47,31,88,000	3,47,31,88,000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	Sums not exceeding (In Rupees)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	78,39,86,000	0	78,39,86,000
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	3,07,89,32,000	0	3,07,89,32,000
		पूंजी	5,88,32,00,000	0	5,88,32,00,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	9,87,56,000	0	9,87,56,000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	3,58,30,35,000	2,23,70,000	3,60,54,05,000
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	12,64,71,99,000	7,86,77,000	12,72,58,76,000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	1,25,98,24,000	1,25,98,24,000
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	10,02,07,11,000	0	10,02,07,11,000
		पूंजी	15,94,50,00,000	0	15,94,50,00,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	14,69,40,12,000	0	14,69,40,12,000
		पूंजी	9,99,95,00,000	0	9,99,95,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	24,48,74,99,000	0	24,48,74,99,000
		पूंजी	88,63,43,00,000	0	88,63,43,00,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	7,38,74,93,000	0	7,38,74,93,000
		पूंजी	4,00,00,000	0	4,00,00,000
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	93,69,26,71,000	0	93,69,26,71,000
		पूंजी	30,00,00,000	0	30,00,00,000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	21,84,89,99,000	0	21,84,89,99,000
		पूंजी	5,25,02,000	0	5,25,02,000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	23,90,93,83,000	0	23,90,93,83,000
		पूंजी	58,69,23,00,000	0	58,69,23,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	2,36,81,17,90,000	0	2,36,81,17,90,000
		पूंजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	राजस्व	8,48,57,10,000	0	8,48,57,10,000
		पूंजी	1,55,00,00,000	0	1,55,00,00,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	20,82,66,46,000	0	20,82,66,46,000
		पूंजी	4,00,00,000	0	4,00,00,000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	3,40,47,65,000	0	3,40,47,65,000
		पूंजी	0	0	0
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	2,23,70,51,000	0	2,23,70,51,000
		पूंजी	4,42,00,00,000	0	4,42,00,00,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	Sums not exceeding (In Rupees)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
47	परिवहन विभाग	राजस्व	3,16,65,12,000	0	3,16,65,12,000
		पूंजी	34,79,00,000	0	34,79,00,000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	1,52,11,99,84,000	0	1,52,11,99,84,000
		पूंजी	25,00,00,000	0	25,00,00,000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	22,91,17,01,000	0	22,91,17,01,000
		पूंजी	48,36,18,00,000	0	48,36,18,00,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	3,73,52,79,000	0	3,73,52,79,000
		पूंजी	9,77,67,00,000	0	9,77,67,00,000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	82,43,20,78,000	0	82,43,20,78,000
		पूंजी	2,26,85,61,000	0	2,26,85,61,000
52	खेल विभाग	राजस्व	2,40,75,21,000	0	2,40,75,21,000
		पूंजी	0	0	0
53	युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	राजस्व	13,44,55,70,000	0	13,44,55,70,000
		पूंजी	35,02,00,000	0	35,02,00,000
54	उच्च शिक्षा विभाग	राजस्व	75,08,33,24,000	0	75,08,33,24,000
		पूंजी	5,04,01,00,000	0	5,04,01,00,000
55	सविल विमानन विभाग	राजस्व	98,47,94,000	0	98,47,94,000
		पूंजी	6,00,00,00,000	0	6,00,00,00,000
		योग राजस्व	26,05,95,74,73,000	2,81,38,18,72,000	28,87,33,93,45,000
		योग पूंजी	4,16,46,38,58,000	2,26,64,83,46,000	6,43,11,22,04,000
		महायोग	30,22,42,13,31,000	5,08,03,02,18,000	35,30,45,15,49,000

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

9 मार्च 2026

सं० एल०जी०-01-04/2026-1981/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2026 को अनुमत बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 02, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

THE BIHAR APPROPRIATION (NO.-2) ACT, 2026

[Bihar Act No.- 02, 2026]

**AN
ACT**

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING OF THE THIRTY FIRST DAY OF MARCH, 2027.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement .—

- (1) This Act may be called the Bihar Appropriation (No.-2) Act, 2026.
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force with effect from 1st April 2026.

2. Withdrawal of Rs. 353045,15,49,000 (Three Lakh Fifty Three Thousand Forty Five Crore Fifteen Lakh Forty Nine Thousand) out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year ending on the 31st March 2027.— From and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar, there may be paid and applied amount not exceeding those mentioned in column-6 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 353045,15,49,000 (Three Lakh Fifty Three Thousand Forty Five Crore Fifteen Lakh Forty Nine Thousand), only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty first day of March 2027, in respect of the services specified in column-2 of the Schedule.

3. Appropriation.— The amount authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar by this Act shall be appropriated for and in respect of the services and purposes mentioned in the Schedule in relation to the year ending on the thirty first day of March, 2027.

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State
1	2	3	4	5	6
01	Agriculture Department	Revenue	33,26,45,26,000	0	33,26,45,26,000
		Capital	1,20,00,00,000	0	1,20,00,00,000
02	Dairy, Fisheries and Animal Resources Department	Revenue	16,65,96,78,000	0	16,65,96,78,000
		Capital	2,50,00,03,000	0	2,50,00,03,000
03	Building Construction Department	Revenue	19,05,26,14,000	0	19,05,26,14,000
		Capital	42,48,45,60,000	0	42,48,45,60,000
04	Cabinet Secretariat Department	Revenue	3,60,00,53,000	0	3,60,00,53,000
		Capital	10,50,00,000	0	10,50,00,000
05	Secretariat of the Governor	Revenue	0	60,80,02,000	60,80,02,000
		Capital	0	0	0
06	Election Department	Revenue	3,23,53,51,000	0	3,23,53,51,000
		Capital	0	0	0
07	Vigilance Department	Revenue	63,73,44,000	0	63,73,44,000
		Capital	0	0	0
08	Department Of Art & Culture	Revenue	1,85,55,18,000	0	1,85,55,18,000
		Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
09	Co-operative Department	Revenue	10,75,15,86,000	0	10,75,15,86,000
		Capital	1,26,25,30,000	0	1,26,25,30,000
10	Energy Department	Revenue	1,65,04,98,67,000	0	1,65,04,98,67,000
		Capital	22,32,07,00,000	0	22,32,07,00,000
11	BC and MBC Welfare Department	Revenue	17,49,18,88,000	0	17,49,18,88,000
		Capital	25,00,000	0	25,00,000
12	Finance Department	Revenue	5,26,36,83,000	22,00,15,00,000	27,26,51,83,000
		Capital	10,15,00,00,000	0	10,15,00,00,000
13	Interest Payment	Revenue	0	2,53,63,68,47,000	2,53,63,68,47,000
		Capital	0	0	0
14	Repayment of Loans	Revenue	0	0	0
		Capital	0	2,26,64,83,46,000	2,26,64,83,46,000
15	Pension	Revenue	3,51,40,33,59,000	30,14,64,000	3,51,70,48,23,000
		Capital	0	0	0
16	Panchayati Raj Department	Revenue	1,05,20,50,82,000	0	1,05,20,50,82,000
		Capital	4,75,00,00,000	0	4,75,00,00,000
17	Commercial Tax Department	Revenue	2,76,59,01,000	0	2,76,59,01,000
		Capital	0	0	0
18	Food and Consumer Protection Department	Revenue	10,79,93,54,000	0	10,79,93,54,000
		Capital	1,15,25,01,000	0	1,15,25,01,000
19	Environment , Forest and Climate Change Department	Revenue	10,25,39,60,000	0	10,25,39,60,000
		Capital	50,00,00,000	0	50,00,00,000
20	Health Department	Revenue	1,89,19,40,75,000	0	1,89,19,40,75,000
		Capital	23,50,99,98,000	0	23,50,99,98,000
21	Education Department	Revenue	5,87,98,31,95,000	0	5,87,98,31,95,000
		Capital	14,06,29,00,000	0	14,06,29,00,000
22	Home Department	Revenue	1,87,16,36,70,000	0	1,87,16,36,70,000
		Capital	14,16,49,99,000	0	14,16,49,99,000
23	Industries Department	Revenue	14,75,06,65,000	0	14,75,06,65,000
		Capital	18,62,57,04,000	0	18,62,57,04,000
24	Information and Public Relation Department	Revenue	2,80,13,39,000	0	2,80,13,39,000
		Capital	0	0	0
25	Information Technology Department	Revenue	1,40,39,53,000	0	1,40,39,53,000
		Capital	1,50,04,00,000	0	1,50,04,00,000
26	Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department	Revenue	3,71,63,31,000	0	3,71,63,31,000
		Capital	0	0	0
27	Law Department	Revenue	17,36,90,80,000	0	17,36,90,80,000
		Capital	0	0	0
28	High Court of Bihar	Revenue	0	3,47,31,88,000	3,47,31,88,000
		Capital	0	0	0
29	Mines and Geology Department	Revenue	78,39,86,000	0	78,39,86,000
		Capital	0	0	0

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue	Sums not exceeding (In Rupees)		
		Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
30	Minorities Welfare Department	Revenue	3,07,89,32,000	0	3,07,89,32,000
		Capital	5,88,32,00,000	0	5,88,32,00,000
31	Parliamentary Affairs Department	Revenue	9,87,56,000	0	9,87,56,000
		Capital	0	0	0
32	Legislature	Revenue	3,58,30,35,000	2,23,70,000	3,60,54,05,000
		Capital	0	0	0
33	General Administration Department	Revenue	12,64,71,99,000	7,86,77,000	12,72,58,76,000
		Capital	0	0	0
34	Bihar Public Service Commission	Revenue	0	1,25,98,24,000	1,25,98,24,000
		Capital	0	0	0
35	Planning and Development Department	Revenue	10,02,07,11,000	0	10,02,07,11,000
		Capital	15,94,50,00,000	0	15,94,50,00,000
36	Public Health Engineering Department	Revenue	14,69,40,12,000	0	14,69,40,12,000
		Capital	9,99,95,00,000	0	9,99,95,00,000
37	Rural Works Department	Revenue	24,48,74,99,000	0	24,48,74,99,000
		Capital	88,63,43,00,000	0	88,63,43,00,000
38	Prohibition, Excise and Registration Department	Revenue	7,38,74,93,000	0	7,38,74,93,000
		Capital	4,00,00,000	0	4,00,00,000
39	Disaster Management Department	Revenue	93,69,26,71,000	0	93,69,26,71,000
		Capital	30,00,00,000	0	30,00,00,000
40	Revenue and Land Reforms Department	Revenue	21,84,89,99,000	0	21,84,89,99,000
		Capital	5,25,02,000	0	5,25,02,000
41	Road Construction Department	Revenue	23,90,93,83,000	0	23,90,93,83,000
		Capital	58,69,23,00,000	0	58,69,23,00,000
42	Rural Development Department	Revenue	2,36,81,17,90,000	0	2,36,81,17,90,000
		Capital	20,00,00,000	0	20,00,00,000
43	Science, Technology and Technical Education Department	Revenue	8,48,57,10,000	0	8,48,57,10,000
		Capital	1,55,00,00,000	0	1,55,00,00,000
44	SC & ST Welfare Department	Revenue	20,82,66,46,000	0	20,82,66,46,000
		Capital	4,00,00,000	0	4,00,00,000
45	Sugar Cane Industries Department	Revenue	3,40,47,65,000	0	3,40,47,65,000
		Capital	0	0	0
46	Tourism Department	Revenue	2,23,70,51,000	0	2,23,70,51,000
		Capital	4,42,00,00,000	0	4,42,00,00,000
47	Transport Department	Revenue	3,16,65,12,000	0	3,16,65,12,000
		Capital	34,79,00,000	0	34,79,00,000
48	Urban Development and Housing Department	Revenue	1,52,11,99,84,000	0	1,52,11,99,84,000
		Capital	25,00,00,000	0	25,00,00,000
49	Water Resources Department	Revenue	22,91,17,01,000	0	22,91,17,01,000
		Capital	48,36,18,00,000	0	48,36,18,00,000
50	Minor Water Resource Department	Revenue	3,73,52,79,000	0	3,73,52,79,000
		Capital	9,77,67,00,000	0	9,77,67,00,000

105

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue	Sums not exceeding (In Rupees)		
		Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
51	Social Welfare Department	Revenue	82,43,20,78,000	0	82,43,20,78,000
		Capital	2,26,85,61,000	0	2,26,85,61,000
52	Department of Sports	Revenue	2,40,75,21,000	0	2,40,75,21,000
		Capital	0	0	0
53	Youth, Employment and Skill Development Department	Revenue	13,44,55,70,000	0	13,44,55,70,000
		Capital	35,02,00,000	0	35,02,00,000
54	Higher Education Department	Revenue	75,08,33,24,000	0	75,08,33,24,000
		Capital	5,04,01,00,000	0	5,04,01,00,000
55	Civil Aviation Department	Revenue	98,47,94,000	0	98,47,94,000
		Capital	6,00,00,00,000	0	6,00,00,00,000
Total Revenue			26,05,95,74,73,000	2,81,38,18,72,000	28,87,33,93,45,000
Total Capital			4,16,46,38,58,000	2,26,64,83,46,000	6,43,11,22,04,000
Grand Total			30,22,42,13,31,000	5,08,03,02,18,000	35,30,45,15,49,000

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 256-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>